संख्या– 236 / 26–ब0प्र0–2012–24(खा) / 2009

प्रेषक,

बी0बी0 सिंह
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय,
उ0प्र0 लखनऊ ।

180
11-6-12

बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण लखनऊ : दिनांकः 25 मई, 2012

विषयः– वित्तीय वर्ष 2012–13 में विपणन विकास सहायता योजना (एस0सी0एस0पी0) के लिए धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित विपणन विकास सहायता योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 40.00 लाख (रू0 चालीस लाख मात्र) के सापेक्ष प्रथम चार माह के लिये लेखानुदान के माध्ये से रू0 13.30 लाख (रू0 तेरह लाख तीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति आपके निवर्तन पर रखे जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है ।

2– प्रस्तर–1 में स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय–ज्ञाप संख्या–बी–1–3520 / दस–2011–231 / 2012, दिनांक 16.12.2011 एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता बरते जाने पर समय–समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3– स्वीकृत धनराशि का व्यय एस0सी0एस0पी0 / टी0एस0पी0 हेतु भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक एवं दिशा निर्देशों के अनुसार योजना पर किया जायेगा ।

4– उक्त मद में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–83 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–"2851–ग्राम तथा लघु उद्योग–आयोजनागत–789–अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना–08–विपणन विकास सहायता कार्यक्रम–27–सब्सिडी" के नामें डाला जायेगा ।

5– यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1–3520 / दस–2011–231 / 2012, दिनांक 16.12.2011 एवं शासनादेश संख्या–बी–[illegible]7 / दस–2012–231 / 2012, दिनांक 20.3.2012 में निहित व्यवस्था के अधीन जारी किये जा रहे है ।

भवदीय

(बी0बी0 सिंह)
संयुक्त सचिव

उप मु॰का॰अ॰ (ख्याद)
11-6-12

संख्या– 236 (1) / 26–ब0प्र0–2012–तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार (लेखा परीक्षा / लेखा एवं हकदारी) प्रथम / द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2– मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ ।
3– मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4– वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनु0–3 / नियोजन अनु0–4 / औद्योगिक विकास अनु0–3
5– गार्डफाइल ।

आज्ञा से,

(बी0बी0 सिंह)
संयुक्त सचिव ।